तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
7/5/024.	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वकील अप्रार्थी श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि प्रार्थी द्वारा वर्ष 2017 में इसी खसरा नंबर में रास्ता प्राप्त करने के लिये मुकदमा किया था। जिसका निर्णय दिनांक 02.06.2017 को किया जाकर खारिज किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा पुनः उन्हीं पक्षकारों के मध्य तथा इन्हीं खसरा नंबरों के संबंध में दुबारा प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो धारा 11 सीपीसी पूर्व न्याय के सिद्धांत के आधार पर चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। वकील अप्रार्थी की दलीलों का खंडन करते हुये वकील प्रार्थी श्री विरमदेवसिंह सोनीगरा द्वारा दलील दी गई कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र में खसरा नंबर 1989, 1990 में से रास्ते की मांग की है तथा पूर्व के प्रार्थना पत्र में खसरा नंबर 1992 में से रास्ते की मांग की गई थी। पूर्व प्रकरण में वर्णित भूमि खसरा नंबर 1992 वर्तमान आवेदन में वर्णित खसरा नंबर 1989 व 1990 के खातेदार भी अलग–अलग है। जिससे धारा 11 सीपीसी के प्रावधानों से उक्त प्रकरण बाधित नहीं है। प्रकरण में तहसीलदार बाली से जांच रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है। अतः आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज करते हुये प्रार्थी को आवेदित खसरा नंबर एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में उल्लेखित खसरा नंबर 1989, 1990 में से रास्ता देने के आदेश पारित किये जाने की दलील दी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस एवं धारा 11 सीपीसी में विधि के प्रावधानों पर मनन के पश्चात ज्ञात है कि प्रार्थी ने उक्त आवेदन में ग्राम लुणावा के खसरा नंबर 1989 व 1990 में से रास्तें की मांग की है, जबकि पूर्व निर्णीत प्रकरण रामाराम बनाम हीरका वगैरा में खसरा नंबर 1992 में से नवीन रास्ते की मांग की थी। इस प्रकार पूर्व प्रकरण में रास्ता खसरा नंबर 1992 में से चाहा था जिसके खातेदार हीरका, गोंगा, पुका पुत्र मांगीया वगैरा थे तथा उक्त प्रकरण में खसरा नंबर 1989, 1990 मे से रास्ता चाहा है जिसके खातेदार तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार पूर्व प्रकरण से भिन्न है जिससे वकील अप्रार्थी की यह दलील मानने योग्य नहीं है कि भूमि व पक्षकार समान है। **धारा 11 सीपीसी के प्रोविजो अनुसारः–** कोई भी न्यायालय ऐसे वाद या विवाधक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाध विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले पक्षकारों के बीच में, पूर्व निर्णीत हुआ हो। अर्थात पक्षकार समान हो व वाद की विषयवस्तु समान हो। ऐसी स्थिति में ही धारा 11 सीपीसी से प्रकरण बाधित माना जा सकता है। जो उक्त प्रकरण में साबित नहीं है। जिससे अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत धारा 11 सीपीसी खारिज किया जाता है। प्रकरण में तहसीलदार बाली से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। तथा अप्रार्थी पक्ष द्वारा भी अपनी आपत्तियां भी धारा 11 सीपीसी के माध्यम से पेश की जा चुकी है। धारा 251 ए आरटीए के तहत रास्ता के प्रकरण समरी प्रोसेडिग्स में आते है। तथा उक्त प्रकरण दिनांक 26.12.2022 को न्यायालय में संस्थापित हुआ है। जिसमें तहसीलदार बाली की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुये एक वर्ष से अधिक की समयावधि व्यतीत हो चुकी है। जबकि ऐसे प्रकरणों को प्रकरण संस्थापित होने के पश्चात 90 दिवस की अवधि में निस्तारण बाबत नियमों में प्राविधित किया गया है। तहसीलदार बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2023/3964 दिनांक 06.02.	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी * बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख ... तामिल में ...

2023 से प्रस्तुत रिपोर्ट में यह उल्लेखित किया है कि प्रार्थी की धारित खातेदारी भूमि ग्राम लुणावा के खसरा नंबर 2006/1 रकबा 0.95 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिये वर्तमान में कोई रिकॉर्डेड रास्ता नहीं है। तथा प्रार्थी को रास्ते की अंत्यातिक आवश्यकता है। प्रार्थी वर्तमान में अप्रार्थी की खातेदार भूमि खसरा नंबर 1989 व 1990 में से ही पगडंडी के तौर पर आना जाना करता है। इस प्रकार प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने के लिये कोई अन्य विकल्प नहीं है। तथा प्रस्तावित रास्ता ही न्यूनतम दूरी का रास्ता है। जिससे प्रार्थी के आवेदन के संबंध में तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध करवाया जाना न्यायसंगत है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे ग्राम लुणावा पटवार हल्का लुणावा तहसील बाली के खसरा नंबर 2006/1 रकबा 0.9500 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम लुणावा पटवार हल्का लुणावा तहसील बाली के खसरा नंबर 1989 रकबा 0.8300 हैक्टर में से **440 वर्गमीटर** व खसरा नंबर 1990 रकबा 0.0700 हैक्टर में से 60 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (प)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी एल सी दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 186543/– रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
1989	0.8300 हैक्टर	110X4= 440 वर्गमीटर	19	8360X2= 16720	वर्तमान जमाबंदी अनुसार
1990	0.07 हैक्टर	15X4= 60 वर्गमीटर	19	1140X2= 2280	वर्तमान जमाबंदी अनुसार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 19000/– (अक्षरे उन्नीस हजार रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर अप्रार्थी निजी खातेदार/राज्य सरकार को अदा की जायेगी। प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू–अभि. सेवाडी द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी,बाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म के तामिल में जारी हुये
	सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे। तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)